

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:- 54 / 2023 विविध
पीठासीन अधिकारी:-राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:- 03.06.2024



1. कैलाश पुत्र हरदेव
 2. बाबूलाल पुत्र पुराराम
 3. गोवर्धन पुत्र हरिनारायण
 4. नन्ही देवी पत्नी स्व० हरिनारायण
 5. कालूराम पुत्र स्व० शंकर
 6. सुनील पुत्र स्व० शंकर
 7. मन्नी देवी पुत्री स्व० शंकर
 8. मीरा देवी पुत्री स्व० शंकर
 9. कस्तुरी देवी पुत्री स्व० शंकर
 10. लाली देवी पुत्री स्व० शंकर
- समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज०।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र रंगलाल
2. दाखां पत्नी रंगलाल
3. शंकर पुत्र रंगलाल
4. श्योजी पुत्र रंगलाल
5. सीताराम पुत्र रंगलाल
6. हजारी पुत्र रंगलाल
7. हरिनारायण पुत्र रंगलाल
8. अनोखी पुत्री लादूराम
9. कमला पत्नी बद्रीनारायण
10. गोरा देवी पत्नी लादूराम
11. जगदीश पुत्र लादूराम
12. नोसर पुत्री बद्रीनारायण
13. रामदयाल पुत्र लादू
14. रामनारायण पुत्र नाथू
15. रामेश्वर पुत्र लादू
16. सीताराम पुत्र नाथू
17. हरिराम पुत्र बद्रीनारायण
18. तहसीलदार फागी, तह फागी, जिला जयपुर राज०।

सत्यमेव जयते

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:- श्री सीताराम सैनी वकील प्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत

निर्णय

दिनांक:- 03.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी खतौनी संख्या

29 के खसरा नम्बर 302 रकबा 0.0379 हैक्टेयर,, खसरा नम्बर 311/2 रकबा 0.2529

उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला-दूदू
संगतार.....2



(2)

हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.2908 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 28 के खसरा नम्बर 304 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, 305 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, 306 रकबा 0.253 हैक्टेयर, 307 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, 308 रकबा 0.2655 हैक्टेयर, 309 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, 310 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, 316 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.1001 हैक्टेयर, भूमि वाके ग्राम चांदमा खुर्द तह. फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित है, जिसके प्रार्थीगण दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार अलग-अलग खाता अनुसार रिकार्डेड खातेदार काशतकार एवं काबिज काशत है। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त आराजीयात वाके ग्राम चांदमा खुर्द तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है, जिसके खाते अल्हदा-अल्हदा होकर मौके पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित तरमीम हो चुकी है एवं प्रार्थीगण अपने हिस्से की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर मेडबंदी डालकर काबिज काशत चले आ रहे हैं लेकिन अप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदारों के आराजी खसरा नंबर 299 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, ख.नं. 300 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, ख.नं. 301 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, ख.नं. 303 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, ख.नं. 311/1 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, ख.नं. 313 रकबा 0.0885 ख.नं. 318 रकबा 1.0116 हैक्टेयर, ख.नं. 317 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख.नं. 294/406 रकबा 2.5290 हैक्टेयर, ख.नं. 314 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के लगवा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आपस में पड़ोसी खातेदार है लेकिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा पर अप्रार्थीगण आये दिन हर वर्ष मेर-कोर को दबाते चले आ रहे हैं आये दिन मेर-कोर की सीमाओं को लेकर लड़ाई-झगड़ा करते रहते हैं इसलिये प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान का विधिवत तहसीलदार, फागी के द्वारा सीमाज्ञान करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि में अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते हैं जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुलिस इमदाद दिलवाया जाना कानूनत न्यायोचित है, ताकि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हो सकें। उक्त आराजीयात बाबत प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान करवाने बाबत प्रार्थना-पत्र तहसीलदार फागी के समक्ष प्रस्तुत करने पर आदेश क्रमांक/एलआर/2022/1242-43 दिनांक 11.04.2022 की पालना में उक्त आराजी का सीमाज्ञान किया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2022 प्रस्तुत की गई जिस पर मौके पर समक्ष प्रार्थीगण एवं गाँव के लोग व पड़ोसी खातेदारों ने सोच-समझकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये एवं अप्रार्थीगण को सूचना देने के बाद भी जानबुझकर मौके पर उपस्थित नहीं हुये उक्त सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2022 की आपत्ति अप्रार्थीगण ने

उपखण्ड अधिकारी तार.....3

फागी, जिला-दूदू



आज तक नहीं की है बल्कि उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पड़ौसी खातेदारों की भूमि में निकलती है। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.06.2022 के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाई जाकर प्रार्थीगण को पुलिस इमदाद दिलवाई जाना आवश्यक है। अगर उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी नहीं करवाई जाती है तो अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जायेंगे जिससे आपस में लड़ाई-झगड़ा होगा एवं व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढेगी इसलिये न्यायहित में प्रार्थीगण को पुलिस इमदाद दी जाकर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है। उक्त पत्थरगढ़ी में नियमानुसार होने वाला खर्चा प्रार्थीगण वहन करने को तत्पर है। उक्त विवादित आराजी एवं पक्षकारान मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से सुनवाई का श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 18 बाद तामील उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 18 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस एकतरफा सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढ़ी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम चान्दमाखुर्द में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2075-2078 वाके ग्राम चांदमा खुर्द के खाता संख्या 29 के खसरा नम्बर 302 रकबा 0.0379 हैक्टेयर,, खसरा नम्बर 311/2 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.2908 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 28 के खसरा नम्बर 304 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, 305 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, 306 रकबा 0.253 हैक्टेयर, 307 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, 308 रकबा 0.2655 हैक्टेयर, 309 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, 310 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, 316 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.1001 हैक्टेयर में प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं० 3 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 11.04.2022 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान होने के पश्चात भी पड़ौसी काश्तकार आपस मे सीमाओं को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे पड़ौसी खातेदारों से विवाद होना बताया है।

उपखण्ड अधिकारी
फ़ागी, जिला-बूड़





कैलाश बनाम गोपाल
मु0न0- 54/2023
निर्णय दिनांक-03.06.2024

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पडौसी खातेदारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाए रखने हेतु न्यायालय सभी पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी आराजी खतौनी संख्या 29 के खसरा नम्बर 302 रकबा 0.0379 हैक्टेयर,, खसरा नम्बर 311/2 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.2908 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 28 के खसरा नम्बर 304 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, 305 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, 306 रकबा 0.253 हैक्टेयर, 307 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, 308 रकबा 0.2655 हैक्टेयर, 309 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, 310 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, 316 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.1001 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चांदमा खुर्द तह0 फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का सभी पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी कर समस्त पडौसी खातेदारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

सत्यमेव जयते